

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 20/02/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल राँची को e-Governance के अंतर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/सामग्रियों के क्रय हेतु कुल रु 7.50 लाख (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) निधि का आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-24/19-20, प्र.स्वी. दिनांक-16.08.2019 Online AA-1167/20.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य	052-मशीनरी तथा उपस्कर/ 70-ई गवर्नेंस	07-अन्य व्यय/ 59-अन्य व्यय विपत्र कोड- 49S470180052700759	7.50 (लाख रु)

आवंटित राशि -सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल राँची। (DRNMIR013)	राँची	e-Governance के अंतर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/सामग्रियों के क्रय हेतु	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	86321

- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध शीर्ष 470180052700759 राशि रु 650.00 लाख (छः करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- सामग्रियों का क्रय प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति संख्या में निहित शर्तों के आलोक में ही किया जायेगा।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
 8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 10. आवंटित राशि दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no उपर्युक्त कंडिका-2 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 263 राँची, दिनांक :- 20/2/2020
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 263 राँची, दिनांक :- 20/2/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.) राँची/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 /सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/, झारखण्ड, राँची वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)
सचिव